राज्य शासन के संकल्प
वन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

संकल्प

क्र०एफ 16-4-दस-2-91

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 1995

वन सुरक्षा एवं विकास के कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा पूर्व में संकल्प जारी किया गया था, जिसके परिपालन में वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति संघ का गठन भी किया गया, परन्तु उक्त संकल्प के क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाई एवं विसंगतियां सामने आई। उक्त कठिनाइयों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए एवं इसे और अधिक व्यापक एवं प्रभावशील बनाने के लिए पारित संकल्प में व्यापक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अतः पूर्व में पारित संकल्प क्र० 16-4-दस-2-91, दिनांक 10 दिसम्बर 1991 को निरस्त करते हुए राज्य शासन संशोधित संकल्प पारित करता है।

2. राज्य शासन का संशोधित संकल्प यह है :–

(1) जैविक दबाव के कारण बिगड़े वनक्षेत्रों के पुनर्निर्माण के प्रयास में ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायतों के माध्यम से वनों के 5 कि०मी० की सीमा में आने वाले ग्रामों/ग्राम समूहों में ग्राम वन समिति का गठन किया जाये तथा पुनर्वनीकरण के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र से मुख्य पातन के द्वारा होने वाली इमारती एवं जलाऊ लकड़ी से प्राप्त शुद्ध आय का 30 प्रतिशत तथा विरलन, सफाई आदि से सम्प्राप्त अंतरिम उत्पादन की शुद्ध आय का शत प्रतिशत ग्राम वन समिति को दिया जाये यदि समिति आय के बदले विरलन, सफाई आदि से प्राप्त उत्पादन चाहती है तो पूरा उत्पादन समिति को दिया जाये।

(2) शेष क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एवं परिस्थितिकीय विकास के लिए वनों से 5 कि०मी० की सीमा में आने वाले ग्राम/ग्राम समूह के निवासियों की पंचायत के माध्यम से वन सुरक्षा समिति गठित की जाये और सफल योगदान के फलस्वरूप ऐसी समिति को उपलब्धता के आधार पर निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी रायल्टी के केवल विदोहन व परिवहन व्यय लेते हुए वनोपज उपलब्ध कराई जाये।

(3) समितियों के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

ग्राम वन समिति :

इनका गठन ऐसे ग्रामों में किया जायेगा जो बिगड़े वनों की सीमा 5 कि०मी० के अंतर्गत आते हों। प्रत्येक ग्राम वन समिति को सुनिश्चित बिगड़े वन का क्षेत्र दिया जायेगा। ग्राम वन समिति की सलाह से एक दस वर्षीय वन एवं ग्राम विकास की सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाई जायेगी जिसके अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य आयोजना स्थगित रहेगी। ऐसे बिगड़े वनक्षेत्रों का प्रबंध सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार शुरु में वन विभाग एवं ग्राम वन समिति संयुक्त रूप से करेगी और समुचित प्रशिक्षण के बाद ग्राम वन समिति स्वयं ही करेगी।

ग्राम वन समिति के लिए क्षेत्र चयन :

(1) पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बिगड़े वनक्षेत्रों के पास ग्राम/ग्राम समूह के निवासियों की ग्राम वन समिति गठित की जायेगी। वन मंडलाधिकारी ऐसे बिगड़े वनखंडों का चयन प्राथमिकता से करेंगे जिसके पास के लगे ग्रामों के ग्रामीण उसके प्रबंध हेतु साझेदारी के लिए इच्छुक हों।

(2) वन मंडलाधिकारी बिगड़े वनक्षेत्र जिसका प्रबंध एवं सुरक्षा ग्राम वन समिति द्वारा की जानी है, का चयन बिगड़े वनक्षेत्र की उपलब्धता, उसकी संबंधित ग्रामों से दूरी, संबंधित ग्रामों की जनसंख्या एवं निस्तार पूर्ति हेतु आवश्यक वनोपज की मात्रा आदि पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् करेंगे।

ग्राम वन समिति के गठन की प्रक्रिया

(1) समिति का गठन :

सर्व प्रथम वनखण्डो की सीमा से लगे चयनित ग्रामों में बैठक आयोजित की जायेगी और ग्रामीणों को संयुक्त वन प्रबंध के उद्देश्य से परिचित कराया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां ग्रामवासी स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा एवं उसके प्रबंधन से जुड़ना चाहते है वहां वन विभाग की ओर से सरपंच/पंच की अध्यक्षता में ग्राम वन समिति के गठन हेतु बैठक आयोजित की जायेगी। वन मंडलाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि वनक्षेत्रपाल से निम्न स्तर का न हो, इस बैठक में भाग ले सकेगा। यदि ग्राम के बालिग निवासियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत निवासी उपस्थित होकर सर्वानुमति से ग्राम वन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते है तो समिति का गठन किया जावेगा। प्रत्येक परिवार से एक पुरूष और एक महिला ग्राम वन समिति के सदस्य होंगे। समिति की प्रथम बैठक में सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

(2) कार्यकारिणी :

1.– ग्राम वन समिति की कार्यकारिणी का गठन सरपंच की अध्यक्षता मे वहां के निवासी समिति सदस्यों में से ही निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

(अ) ग्राम वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे।

(ब) न्यूनतम 2 महिला सदस्य होगी।

(स) भूमिहीन परिवार के न्यूनतम 2 सदस्यों (पुरूष या महिला) रहेंगी।

(द) इसके साथ ही कार्यकारिणी के निम्न पदेन सदस्य होंगे :–

(क)– सभी चुने गए/मनोनीत सरपंच एवं पंच।

(ख)– उस वनक्षेत्र का प्रभारी वन रक्षक/वनपाल जो कि सचिव का कार्य भी करेगा। (सचिव आवश्यकतानुसार वनग्राम समिति कार्यकारिणी की बैठक आहुत करेगा और की गई कार्यवाही का अभिलेख रजिस्टर मे रखेगा।)

(ग)– ग्राम वन समिति द्वारा मनोनीत कोई निवासी शिक्षक।

2. कार्यकारिणी के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) का मनोनयन ग्राम वन समिति के सदस्यों की सर्वानुमति से होगा। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल एक वर्षीय होगा।

3. कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का संबंधित ग्राम का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

4. प्रत्येक ग्राम वन समिति के गठन हेतु वन मंडलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। अनुमोदन के पश्चात् वन मंडलाधिकारी समिति के अध्यक्ष को अनुमोदन पत्र प्रदाय करेंगे जिसमें समिति का पंजीयन क्रमांक दिनांक एवं वर्ष अंकित रहेगा।

5. पदेन सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार ग्राम वन समिति की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष के परामर्श अनुसार आहुत की जायेगी और बैठक की कार्यवाही विवरण पंजी में संधारित किया जायेगा।

6. बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति मे सभी सदस्य सर्वानुमति से किसी सदस्य का नाम अध्यक्षता करने हेतु प्रस्तावित करेंगे।

(3) सूक्ष्म प्रबंध योजना :

1. संबंधित वनक्षेत्रपाल/वनपाल द्वारा ग्राम वन समिति के परामर्श से वन एवं ग्राम संसाधन के विकास की एक दस वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेगी। इस योजना में आवश्यक जलाऊ इमारती लकड़ी, झाडत्री एवं चारा उत्पादन का प्रावधान होगा। इस योजना में पशु चराई नियंत्रण का भी दवितरण होगा। इसके साथ ही प्रबंध योजना में यह दर्शाया जायेगा श्रिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष किस तरह किस मात्रा में वनोपज निकाली जायेगी तथा उसकी वितरण प्रणाली का भी विवरण होगा। उपरोक्त कार्यक्रम के साथ ही योजना में संबंधित ग्राम के अव विकास कार्यक्रमों को कभी सम्मिलित किया जायेगा जिससे कि ग्राम का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और ग्रामवासियों की वनों पर निर्भरता को यथासंभव सीमित किया जा सके।

2. प्रस्तावित सूक्ष्म प्रबंध योजना का समिति द्वारा लिखित अनुमोदन करने के पश्चात् योजना को वनमंडलाधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु वनमंडलाधिकारी अपनी अनौपचारिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। वनमंडलाधिकारी को योजना में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का अधिकार होगा। योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उक्त तथ्य हेतु पूर्व में स्वीकृत सप्रबंध योजना/कार्य आयोजना स्थगित मानी जायेगी।

ग्राम वन समिति के कार्य एवं दायित्व

1. ग्राम वन समिति वन विभाग के सहयोग से सूक्ष्म सप्रबंध योजना तैयार करेगी ।

2. ग्राम वन समिति का यह दायित्व होगा कि वन विभाग के निर्देशन में सूक्ष्म प्रबंध योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे।

3. ग्राम वन समिति का यह दायित्व होगा कि समिति को सौंपे गये वनक्षैत्र की पूर्ण सुरक्षा हो।

4. ग्राम वन समिति अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध चराई,अगाम तथा वनोपज की चोरी एवं वन विनाश से वनों को बचाने के दायित्व का निर्वहन करेगी। इस उदेश्य की प्राप्ति हेतु समिति अपने सदस्यों की सहायता से आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठायेगी।

5. ग्राम वन समिति का दियत्व होगा कि ग्राम में निर्मित सामुहिक संपत्ति एवं संसाधनों का प्रबंध एवं सुरक्षा करें।

6. ग्राम वन समिति चराई नियंत्रत करने में पूर्ण सहायता करेगी।

7. निर्धारितवन क्षैत्र एवं ग्रामीण संसाधानों से प्राप्त लाभों का सदस्यों में समान वितरण का दायित्व ग्राम वन समिति का होगा।

8. ग्राम वन समिति वन अपराधियों को पकड़वाने और उनसे पकड़ी गई वनोपज की सुरक्षा में वनाधिकारी की सहायता करेगी। वे समिति द्वारा पकड़े गये अपराधी एवं वनोपज को तत्काल वनाधिकारी को सौंपे जायेंगे। ग्राम वन समिति अपराधी की खोजबीन करने तथा न्यायालयीन प्रकरण में वनाधिकारी को वांछित सहायता प्रदान करेगी।

9. ग्राम वन समिति के किसी सदस्य की अवैध वन कटाई या किसी अन्य अपराध में लिप्त पाये जाने की सूचना पाये जाने पर संबंधित वनाधिकारी उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करेगा एवं समिति की सदस्यता समाप्त करने का निवेदन कर सकेगा।

10. यदि ग्राम वन समिति का कोई सदस्य अपराधी पाया जाता है तो समिति द्वारा उसके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जा सकती है जो कि समिति की सदस्या से निस्कासन तक हो सकती है।समिति की सदस्यता से निस्कासित सदस्य नियमित सदस्यों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रहेगा।

11. ग्राम वन समिति निर्धारित वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाली वनोपज के निष्पक्ष एवं न्यायोचित वितरण हेतु समय-समय पर राज्यशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगी।

वनाधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. वनाधिकारी ग्राम वन समिति की सूक्ष्म प्रबंध योजना को तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देगा।

2. वनाधिकारी योजना के वार्षिक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु पूर्ण प्रयास करेगा।

3. यदि वनाधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ग्राम वन समिति ने निर्धारित वन क्षेत्र में चराई, आग, चोरी एवं अतिक्रमण आदि से सुरक्षा सफलतापूर्वक की है तो इस कार्यों हेतु उस वर्ष की निर्धारित धनराशि ग्राम संसाधन विकास योजना निधि में समाहित की जायेगी। और इस तरह से एकत्रित की गई निधि सूक्ष्म प्रबंध योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार गांव के संसाधन विकास पर व्यय होगी।

4. वन मंडलाधिकारी एवं उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ग्राम वन समिति द्वारा किये गये कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों से ग्राम वन समितियों को अवगत कराया जायेगा और समिति उन सभी कमियों को शीघ्रातिशीघ्र एवं आवश्यक रूप से अगली समीक्षा के पूर्व दूर करने का प्रयास करेंगे।

5. यदि वनाधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदाय की गई धनराशि का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वह सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन को स्थगित करने का हकदार रहेगा।

6. वनाधिकारी ग्राम वन समिति को नर्सरी लगाने एवं उसके रख-रखाव के संबंध में वनारोपण एवं वन प्रबंधन में प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त वह वन सुरक्षा समिति को उसके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों का लेखा-जोखा रखने हेतु प्रशिक्षित करेगा। संक्षिप्त में प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम वन समिति को योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सक्षम बनाना है। समिति के पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने की दशा में सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वार्षिक राशि को वन विभाग समिति को सीधे आवंटित करेगा।

राज्य-शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधायें

यदि वन मंडलाधिकारी समीक्षा के उपरांत यह पाते हैं कि विद्यमान परिस्थिति में "ग्राम वन समिति" एवं उसकी कार्यकारिणी द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में सफल प्रयास किया गया है तो वनमंडलाधिकारी इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष समिति को प्रदान करेंगे। ऐसे प्रमाण-पत्र जारी होने की स्थिति में ग्राम वन समिति के माध्यम से ग्रामीणों को निम्नानुसार लाभ प्रदाय किये जायेंगे:-

1. ग्रामीण संसाधन क्षेत्रों के साथ-साथ निर्धारित वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाली संपूर्ण अराष्ट्रीयकृत वनोपज पर ग्रामीणों का पूर्ण अधिकार होगा।

2. ग्राम वन समिति को सूक्ष्म प्रबंध योजना के अंतर्गत आवंटित वनक्षेत्र समय-समय पर उत्पादित होने वाले चारा, जलाऊ, लघु इमारती (बल्ली) बांस तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त करने का पूरा हक होगा।

3. समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप वन सुरक्षा समिति निर्धारित वनक्षेत्र एवं गांव में उत्पादित (निजी भूमि छोड़कर) सभी राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज को संग्रहित करने एवं प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। इस संग्रहीकरण कार्य हेतु समिति के सदस्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित संग्रहण शुल्क, प्रोत्साहन राशि, पुरस्कार, बोनस आदि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

4. सूक्ष्म प्रबंध योजना में विकसित वनक्षेत्र का आवर्तन (रोटेशन) निर्धारित किया जायेगा। समिति नैसर्गिक रूप से उपलब्ध अथवा रोपित वृक्षों के अंतिम विदोहन से प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ी, बल्ली, बांस एवं ईंधन

...होगी, परन्तु सुरक्षा समिति को दिया गया वनक्षेत्र स्वीकृत कार्य आयोजना के अंतर्गत ही प्रबंधित किया जायेगा।

वन सुरक्षा समिति, क्षेत्र का चयन

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वनमंडलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्र का चयन करेगा जो कि अवैध कटाई, अत्याधिक चराई,आग तथा अतिक्रमण आदि जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो और जहां कि ग्रामवासी वनों की सुरक्षा हेतु सहयोग देने के लिए तत्पर हों. वन मंडलाधिकारी चुनिंदे वनक्षेत्र से गांव की दूरी सुनिश्चित करने के पश्चात् वहां की जनसंख्या और वनोत्पादन जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक गांव के लिए वन सुरक्षा समिति का गठन और प्रत्येक सुरक्षा समिति के लिए वनक्षेत्र का निर्धारण करेगा।

वन सुरक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया

समिति का गठनः

सर्वप्रथम वनखंडों की सीमा से चयनित ग्रामों में बैठक आयोजित की जायेगी और ग्रामीणों को संयुक्त वन प्रबंध के उद्देश्यों से परिचित कराया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां ग्रामवासी स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा एवं उसके प्रबंधन से जुड़ना चाहते हैं वहां वन विभाग की ओर से सरपंच/पंच की अध्यक्षता में ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के गठन हेतु बैठक आयोजित की जायेगी। वनमंडलाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि वनक्षेत्रपाल से निम्न स्तर का न हो, इस बैठक में भाग ले सकेगा। ग्राम के बालिग निवासियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत निवासी उपस्थित होकर सर्वानुमति से ग्राम वन सुरक्षा समिति गठन का प्रस्ताव सपारित करते हैं तो समिति का गठन किया जायेगा। प्रत्येक परिवार से एक पुरुष और एक महिला वन सुरक्षा समिति के सदस्य होंगे। समिति की प्रथम बैठक में सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

कार्यकारिणी

1. वनसुरक्षा समिति की कार्यकारिणी का गठन सरपंच की अध्यक्षता में वहां के निवासी समिति सदस्यों में से ही निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

    अ– वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारणी के भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे।

    ब– न्यूनतम सदो महिला सदस्य होंगी।

    स– भूमिहीन परिवार के न्यूनतम दो सदस्यों (पुरुषों/महिला) रहेंगे।

    द– इसके साथ ही कार्यकारिणी के निम्न पदेन ससदस्य होंगेः

        क. सभी चुने गए/मनोनीत सरपंच एवं पंच।

        ख. उस वन क्षेत्र का प्रभारी वनरक्षक/वनपाल जो कि सचिव का कार्य भी करेगा। सचिव आवश्यकतानुसार वन सुरक्षा समिति की कार्यकारिणी की बैठक आहुत करेगा और की गई कार्यवाही का अभिलेख रजिस्टर में रखेगा।

        ग वन सुरक्षा समिति द्वारा मनोनीत कोई निवासी शिक्षक।

2. कार्यकारिणी के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) का मनोनयन वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की सर्वानुमति से होगा। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल एक वर्षीय होगा।

3. कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का संबंधित ग्राम का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

लकड़ी के 30 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त कर सकती है अथवा यदि वह चाहे तो अंतिम विदोहन से उत्पादित वनोपज के विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय का 30 प्रतिशत मूल्य प्राप्त कर सकती है। वनोपज के वास्तविक मूल्य का निर्धारण स्थानीय मूल्य में विदोहन (कटाई) व्यय काटकर किया जायेगा। अंतिम विदोहन से प्राप्त वनोपज अथवा वनाधिकारी से प्राप्त समतुल्य धनराशि का वितरण ग्राम वन समिति द्वारा सभी सदस्यों में एक समान किया जायेगा। समिति वनोपज के समान वितरण हेतु अपनाई गई व्यवस्था का अनुमोदन वनाधिकारी से प्राप्त करेगी।

समिति की मान्यता समाप्त करना

यदि समिति के कार्यों की समीक्षा के पश्चात् निरीक्षण अधिकारी द्वारा बार–बार प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो उस स्थिति में वन मंडलाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण स्वयं करेंगे। यदि निरीक्षण के पश्चात् वनमंडलाधिकारी इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि समस्या का निदान असंभव है और समिति एक विश्वसनीय शाखा के रूप में कार्य नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में वनमंडलाधिकारी अपना प्रतिवेदन वन संरक्षक को समिति के चालू रखने के विषय में उनकी राय जानने के लिए करेंगे।

वन संरक्षक की सहमति प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी समिति के अध्यक्ष को समिति द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी देते हुए नोटिस जारी करेगा कि इन कारणों से क्यों न समिति की मान्यता समाप्त कर दी जावे। समिति की मान्यता समाप्त होने के पश्चात् क्या स्थिति निर्मित होगी। नोटिस में यह भी बताया जायेगा।

यदि समिति असफलताओं के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहती है, साथ ही साथ वनमंडलाधिकारी को समिति की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधारों से अवगत कराने में असफल रहती है तो ऐसी स्थिति में वनमंडलाधिकारी आवश्यक आदेश पारित कर समिति की मान्यता समाप्त कर सकता है। इस आदेश में वनमंडलाधिकारी को समिति की मान्यता समाप्त होने के बाद में भविष्य में निर्मित होने वाली स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

ग्राम वन समिति को वनमंडलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध एक माह के अंदर वन संरक्षक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् वन संरक्षक ग्राम वन समिति के क्रिया–कलापों का स्वतंत्र मूल्यांकन सकरेगा एवं साथ ही साथ ग्राम वन समिति के कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार की संभावनाओं पर विचार करेगा। वन संरक्षक द्वारा अपील का निराकरण निम्नानुसार किया जा सकेगा तथा वन संरक्षक का निर्णय अंतिम होगा :–

1. वनमंडलाधिकारी द्वारा समिति को अमान्य करने वाले पारित आदेश को स्थगित कर इस दिये गए समय के समाप्त होने पर यदि वन संरक्षक को ग्राम वन समिति की कार्य प्रणाली में निश्चित सुधार परिलक्षित होता है तो वह वनमंडलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए ग्राम वन समिति की मान्यता को पुनः बहाल करने हेतु वनमंडलाधिकारी को निर्देशित कर सकता है।

2. यदि वन संरक्षक ऐसा महसूस करता है कि ग्राम वन समिति के सदस्यों के बीच उपस्थित विवाद को सुलझाना मुश्किल है एवं समिति इस स्थिति में नहीं है कि वह संतोषजनक कार्य कर सके तो वह वनमंडलाधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए समिति की अपील को रद्द कर सकेगा।

राज्य सरकार यदि उचित समझे तो वन विभाग एवं समिति के बीच उपरोक्त शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश होने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रपत्र में समिति के साथ अनुबंध निष्पादित कराने का दायित्व वनमंडलाधिकारी का रहेगा। राज्य शासन को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त संकल्प में निहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित निर्देश समय–समय पर प्रसारित करें।

वन सुरक्षा समिति

ऐसे ग्रामों में जो कि अच्छे वनों के पास है ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा समिति बनाई जायेगी। वन सुरक्षा समिति का मुख्य कार्य चराई नियंत्रण, वनों का जैविक संरक्षण, चोरी रोकना, आग से बचाव एवं अतिक्रमण को रोकना होगा। वन सुरक्षा समिति का यह भी दायित्व होगा कि अच्छे वनों को बिगड़ा वन न बनने दे। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामों की इन वनों पर निर्भरता को कम किया जाये। इसके लिए प्रत्येक वन सुरक्षा समिति के लिए ग्राम संसाधन विकास

4. प्रत्येक वन सुरक्षा समिति के गठन हेतु वनमंडलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा अनुमोदन के पश्चात् वनमंडलाधिकारी समिति के अध्यक्ष को अनुमोदन पत्र प्रदाय करेंगे जिसमें समिति का पंजीयन क्रमांक दिनांक एवं वर्ष अंकित रहेगा।

5. पदेन सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार वन सुरक्षा समिति की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष के परामर्श अनुसार आहुत की जायेगी और बैठक का कार्यवाही विवरण पंजी में संधारित किया जायेगा

6. बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में सभी सदस्य सर्वानुमति से किसी सदस्य का नाम अध्यक्षता करने हेतु प्रस्तावित करेंगे।

वनसुरक्षा समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

1. वन सुरक्षा वन यह पूर्ण दायित्व होगा कि उसे सौंपे गए वनक्षेत्र की पूर्णतः सुरक्षा की जावे।

2. वनसुरक्षा समिति अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध चराई, आग,वनोपज की चोरियां एवं विनाश से वनों के बचाने के दायित्व का निर्वहन करेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वनसुरक्षा समिति अपने सदस्यों के सहयोग से सुरक्षात्मक कदम उठायेगी।

3. वन सुरक्षा समिति का दायित्व होगा कि गांवों में निर्मित सामुहिक सम्पत्ति एवं संसाधनों की सुरक्षा करे।

4. वन सुरक्षा समिति नियमित चराई नियंत्रित करने, मृत/गिरी पड़ी लकड़ी घास एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के एकत्रित करने के कार्यों में वनाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

5. वन सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि दिये गये वनक्षेत्र एवं गांवों के संसाधनों से प्राप्त आमदनी का सही वितरण हो।

6. वन सुरक्षा समिति अपराधियों को पकड़वाने, पकड़ी गई वनोपज की सुरक्षा में वनाधिकारियों की मदद करेगी। समिति द्वारा पकड़े गए अपराधी तथा वनोपज को तत्काल संबंधित वनाधिकारी को सौंपा जायेगा। वन सुरक्षा समिति अपराध की खोजबीन में तथा न्यायालयीन प्रकरणों में वनाधिकारी को वांछित सहायता प्रदान करेगी।

7. वन सुरक्षा समिति के किसी सदस्य द्वारा अवैध कटाई या किसी वन अपराध में लिप्त पाये जाने पर उसके विरुद्ध संबंधित वनाधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा एवं समिति से उसकी सदस्यता समाप्त करने का निवेदन कर सकेगा।

8. यदि वन सुरक्षा समिति का कोई सदस्य अपराधी पाया जाता है तो समिति द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है जो कि वन सुरक्षा समिति की सदस्यता से निष्कासन तक हो सकती है।

वनाधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. वनाधिकारी ग्राम संसाधन विकास योजना का प्रस्ताव बनाने एवं क्रियान्वयन हेतु वन सुरक्षा समिति को पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन देंगे।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था करने का प्रयास वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. वन मंडलाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिक वन सुरक्षा समिति के कार्यों की की तिमाही समीक्षा करेगा। यदि समीक्षा के पश्चात् यह पाया जाता है कि समिति द्वारा किये गये कार्य संतोषप्रद नहीं है तो निरीक्षक अधिकारी समिति को लिखित सूचना द्वारा उनकी कमियों एवं उसको दूर करने हेतु किये जाने वाले उपायों की जानकारी देगा। संबंधित अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति उप वन मंडलाधिकारी/वनमंडलाधिकारी को भी भेजेगा।

राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधायें :

वन सुरक्षा समिति के सफल योगदान के फलस्वरूप ऐसी समिति को उपलब्धता के आधार पर निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी रायल्टी के केवल विदोहन एवं परिवहन व्यय लेते हुए वनोपज उपलब्ध कराई जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

राही
आर० के० शुक्ला,